


भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या-01/2016-17

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ																		
07.09.2021	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया आवेदक/अपीलार्थी मो० रेहान, पिता-स्व० निजामुद्दीन, निवासी-चाँदमारी, चक्रधरपुर, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम ने अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण वाद संख्या-48/2016-17, दिनांक-02.05.2016 में परित आदेश के विरुद्ध नामांतरण अपील वाद संख्या-01/2016-17 दायर किया गया है। भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है:-</p> <table border="1"><thead><tr><th>क्र०</th><th>थाना नं०</th><th>मौजा</th><th>खाता नं०</th><th>प्लॉट नं०</th><th>रकवा</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>68</td><td>चक्रधरपुर, वार्ड नं०-14,</td><td>45</td><td>129/1 129/1</td><td>0.01.938 ए० 0.02.062 ए०</td></tr><tr><td colspan="5">कुल रकवा</td><td>0.04.000 ए०</td></tr></tbody></table> <p>आवेदक/अपीलार्थी द्वारा दिनांक-03.09.2021 को आवेदन पत्र दाखिल कर बताया गया है कि उक्त भूमि का नामांतरण अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या-445/R27/2020-21, दिनांक-19.11.2015 द्वारा हो चुका है। आवेदक द्वारा उक्त नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>उक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक/अपीलार्थी का नामांतरण हो चुका है। इसलिए इस वाद में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निदेश पारित करना एवं वाद की कार्रवाई को जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उक्त नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट चक्रधरपुर।</p>	क्र०	थाना नं०	मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	1	68	चक्रधरपुर, वार्ड नं०-14,	45	129/1 129/1	0.01.938 ए० 0.02.062 ए०	कुल रकवा					0.04.000 ए०	
क्र०	थाना नं०	मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा															
1	68	चक्रधरपुर, वार्ड नं०-14,	45	129/1 129/1	0.01.938 ए० 0.02.062 ए०															
कुल रकवा					0.04.000 ए०															